पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन न० 0612–2219116(का०)
फैक्स न०–0612–2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–55/आ0प्र0, दिनांक 30.09.16 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–02– बाढ़– चक्रवात आदि–लघुशीर्ष–101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0010– बज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड–एन2245021010010 मद में 20,00,000.00 (बीस लाख) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे संबंधित अंचल को निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष–2016–17 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या–39
लघुशीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत।
उप शीर्ष–0010– बज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान।
विषय शीर्ष–31 02 अनुग्रह अनुदान

क्र0	अंचलाधिकारी का नाम	मद का नाम		
		पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल योग
01	02	03	04	05
1	अंचलाधिकारी, बिहटा	--	20,00,000.00	20,00,000.00
	कुल योग	--	**20,00,000.00**	**20,00,000.00**

(1) यह आवंटन विभागीय संकल्प सं0–2203/आ0प्र0, दिनांक 11.07.2012 के आलोक में दिनांक 01.04.2009 के बाद घटित वज्रपात की घटनाओं में मृत व्यक्तियों हेतु निर्गत किया जा रहा है।

(2) इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष–2016–17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02, बाढ़– चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष–0010– बज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) संबंधित अंचलाधिकारी से अनुरोध है कि स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त वज्रपात से मृत व्यक्ति के आश्रितों को प्राकृतिक आपदा में मृत व्यक्ति के आश्रितों को देय राशि के समतुल्य राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रितों को भुगतेय राशि का भुगतान कर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हीं जिम्मेवार होगें।

(4) यह आवंटन दिनांक 21.06.2016 को बज्रपात से हुई मृत्यु अनुग्रह अनुदान अभिलेख सं0–02/2016–17 (अंचलाधिकारी, बिहटा) के एवज में मृतक रामाधार यादव, पिता–भृगुनाथ यादव, अनुज कुमार, पिता–प्रेमधर राय, लाल बहादुर यादव, पिता–गुमानी यादव, लालती देवी, पति–दमरी पासवान एवं निर्मला देवी, पति–शंकर साव के आश्रित परिवार चनेश्वरी देवी पति–रामाधार राय सा0–मोदही, सुजाता देवी, पति–अनुज कुमार सा0–डुमरी, गोपाल यादव पिता–स्व0 गुमानी यादव सा0–दोघड़ा, दमरी पासवान पिता–खखनु पासवान सा0–बिन्दौल, शंकर साव पिता–स्व0 रामदेव साव सा0–बिन्दौल को अनुग्रह अनुदान भुगतेय राशि के समायोजन हेतु निर्गत किया जा रहा है।

(5) आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं की जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी हीं जिम्मेवार होंगे।

(6) आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक–**1642**/आ0प्र0, दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) उपावंटित की गई सहाय्य अनुदान की राशि की निकासी **BTC Form-42** में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **BTC Form-42A** में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को निर्धारित

फोन न० 0612–2219116(का०)
फैक्स न०–0612–2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2017 तक भेज दिया जाय।

(8) पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी अग्रीम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

(9) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(10) इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक–**2561(वि0)(2)**, दिनांक 17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

(11) यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हीं जिम्मेवार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

अनुलग्नक–मूल आवंटन पत्र की प्रति।

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 1209 /आ0प्र0, दिनांक 18/10/2016

प्रतिलिपिः– अंचलाधिकारी, बिहटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त उपावंटन आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
प्रतिलिपिः– जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक–55/आ0प्र0, दिनांक 30.09.16, के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– आप्त सचिव, मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः– आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

12/x/16

जिला पदाधिकारी,
पटना।

D:\Apda Shakha Data\Adesh.docx231

OCT-01-2016 01:04PM From: ID: Page:001 R=96%

पत्र संख्या–1/प्रा03न0–0–3–45/2016..55.../आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

जिला आपदा प्रबंधन शाखा

OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE, PATNA
-1 OCT 2016
CONFIDENTIAL SECTION

प्रेषक,
अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,
जिला पदाधिकारी,
पटना/पूर्वी चम्पारण/लखीसराय/नवादा।

पटना–15, दिनांक– 30/9/16.

विषय:– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2016–17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0010–वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड– N2245021010010 में ₹40.00 लाख (चालीस लाख रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष– 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघु शीर्ष– 101–आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0010– वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :
मॉग संख्या–39
लघुशीर्ष–101 आनुग्रहिक राहत।
उपशीर्ष–0010–वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान।
विषय शीर्ष– 31 02– अनुग्रह अनुदान

क्र.	जिला	पूर्व आवंटन (रु0 लाख में)	वर्त्तमान आवंटन (रु0 लाख में)	योग (रु0 लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.
1	पटना	0.00 (शून्य)	20.00 (बीस लाख)	20.00 (बीस लाख)
2	पूर्वी चम्पारण	24.00 (चौबीस लाख)	8.00 (आठ लाख)	32.00 (बत्तीस लाख)
3	लखीसराय	16.00 (सोलह लाख)	4.00 (आठ लाख)	20.00 (बीस लाख)
4	नवादा	12.00 (बारह लाख)	8.00 (आठ लाख)	20.00 (बीस लाख)
	कुल योग	52.00 (बावन लाख)	40.00 (चालीस लाख)	92.00 (बानवे लाख)

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1046 दिनांक 09.09.16 /पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 33 दिनांक 16.07.16/लखीसराय के पत्रांक 422 दिनांक 12.09.16/नवादा के पत्रांक 496 दिनांक 15.09.16 द्वारा की गई अधियाचना, उपलब्ध बजट उपबंध एवं विभागीय संकल्प संख्या–2203/आ0प्र0 दिनांक 11.07.2012 के आलोक में दिनांक 01.04.2009 के बाद घटित वज्रपात की घटनाओं में मृत व्यक्तियों हेतु निर्गत किया जा रहा है।

5. संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त वज्रपात से मृत व्यक्ति के आश्रितों को प्राकृतिक आपदा में मृत व्यक्ति के आश्रितों को देय राशि के समतुल्य राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रितों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7. आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

49

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर ''आवंटन प्राप्त हुआ'', यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/9/16

(अनिरुद्ध कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–55/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 30/9/16

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30/9/16

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–55/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 30/9/16

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/16

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–55/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 30/9/16

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/16

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –55/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक 30/9/16

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/9/16

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–55/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 30/9/16

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपतकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/16

संयुक्त सचिव